न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

रेफरेन्स / 03 / 2024

पवन कुमार पुत्र विजयपाल उम्र 24 साल जाति जाट निवासी ग्रांम बिरावई तहसील व जिला भरतपुर –

.....प्रार्थी

बनाम

राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिराबई जरिये प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिराबई जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना अन्तर्गत धारा 82 राज0. भू–राजस्व अधिनियम 1956 ।

उपस्थित :–
1–श्री गोबिन्द सिंह डांगुर, अभिभाषक प्रार्थी,
2–पैरोकार सरकार, अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 19.9.2025

प्रार्थी ने यह रेफरेन्स विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 129 रकवा 8 बीघा 16 विस्वा का है, जिसमें से 4 बीघा 8 विस्वा पर महाराज सिंह जाति जाट निवासी बिरावई को गैरखातेदार दर्ज कर दिया गया है, साविक आराजी खसरा नम्बर 138 के बन्दोवस्त विभाग द्वारा कई खसरा नम्बर बनाये गये जिसमें से हाल खसरा नम्बर 134 रकवा 7 ऐयर भी बनाया गया। आराजी खसरा नम्बर 134 रकवा 0.07 ऐयर गैर मुमकिन रास्ता बाके ग्रांम विराबई को सहायक कलेक्टर भरतपुर कैम्प प्रभारी चिचाना के आदेश दिनांक 03.12.2001 से अप्रार्थी को क्रीडा स्थल हेतु आवंटित कर दिया और नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 3.12.2001 से राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिराबई क्रीड़ा स्थल दर्ज कर दिया जबकि उसकी किस्म गैर मुमकिन रास्ता थी। प्रार्थी ग्रांम बिराबई का मूल निवासी है एवं आराजी खसरा नम्बर 134 रकवा 0.07 ऐयर आम रास्ते की भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग के काम में आती है किसी संस्थान व किसी भी प्राईवेट व्यक्ति को गैर मुमकिन रास्ते की भूमि को आवंटित नहीं किया जा सकता है जो आवंटन नियमों के तहत व धारा 16 आर.टी.एक्ट के तहत प्रतिबन्धित है। आवंटन आदेश दिनांक 03.12.2001 की सत्यप्रतिलिपि के लिये सहायक कलक्टर भरतपुर एवं जिला अभिलेखाकार में आवेदन किया दोनों स्थानों पर रिकार्ड जमा होना नहीं पाया गया।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 03.12.2001 पूर्णतया अवैध एवं नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक / एलआर / 2025 / 3003 दिनांक 8.5.2025 से प्राप्त रिपोर्ट शामिल मिसिल की गई। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि गत आराजी खसरा नम्बर 129 रकवा 8 बीघा 16 विस्वा किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता एक बड़ा रकवा का नम्बर है। भू प्रबन्ध विभाग ने उक्त खसरा नम्बर 129 / 8–16 बीघा के कई नम्बर बनाये गये हैं। जिसमें से हाल खसरा नम्बर 134 रकवा 7 ऐयर का बनाया गया और उक्त खसरा 134 / 07 ऐयर पर महाराजसिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट ग्रांम विराबई के नाम इन्द्राज कर दिया गया, जिस पर गलत इन्द्राज को निरस्त कराने के लिये श्रीमान के यहॉ कार्यवाही की गई जो दिनांक 10.9.1996 को स्वीकार कर गैरमुमकिन रास्ते की भूमि से महाराज सिंह का नाम कलमजन करने के आदेश पारित किये गये उसके बाद यह खसरा नम्बर 134 बदस्तूर गैर मुमकिन रास्ता रहा है। योग्य अभिभाषक का यह तर्क है कि राजस्व कैम्प में आराजी खसरा नम्बर 134 / 0.07 ऐयर गैर मुमकिन रास्ता को कैम्प प्रभारी चिचाना सहायक कलक्टर भरतपुर ने दिनांक 3.12.2001 से अप्रार्थी को क्रीडा स्थल हेतु आंबटित कर दिया और जरिये नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 3.12.2001 से उक्त खसरा नम्बर 134 / 07 ऐयर रकवा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिराबई क्रीडा स्थल दर्ज कर दिया गया। कैम्प प्रभारी सहायक कलेक्टर भरतपुर द्वारा दिनांक 3.12.2001 को किये गये आवंटन आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु सहायक कलेक्टर भरतपुर एव प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार में आवेदन किया वहॉ रिकार्ड जमा होना नहीं पाया गया। इसलिए नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 3.12.2001 जिस आदेश से खोला गया है वह नियमों के खिलाफ है और उसके आधार पर खोला गया यह नामान्तकरण 153 काबिल खारिज के है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि गैर मुमकिन रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों में आता है। इसलिये गैर मुमकिन रास्ता का आवंटन नहीं किया जा सकता है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि यह सार्वजनिक रास्ता है, सभी ग्रांमवासीयों का हित निहित है, जिस में होकर प्रार्थी के मकान का भी रास्ता

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

जाता है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में आर.आर.टी. 2001(2) पेज न. 1159, आर.आर.टी. 2003(2) पेज न. 1260, आर.आर.टी. 2008(2) पेज न. 1412, आर.आर.डी.1991 पेज 451, आर.आर.डी.2001 पेज 403, आर.आर.डी.1994 पेज 314, आर.बी.जे.2000 (10) पेज 505, उद्धरत करते हुये प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

पैरोकार सरकार ने जाहिर किया कि राजस्व कैम्प प्रभारी सहायक कलक्टर भरतपुर ने राजस्व कैम्प के दोरान ग्रांमवासीयान की मांग पर स्कूल के बच्चों के लिये खेल मैदान के लिये आराजी खसरा नम्बर 134/0.07 ऐयर गै.मु.रास्ता की भूमि को राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिरावई के नाम क्रीडा स्थल के लिये दिनांक 3.12.2001 को आवंटित किया था। राजस्व कैम्प प्रभारी सहायक कलेक्टर भरतपुर के आवंटन आज्ञो की पालना में नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 3.12.2001 भरा जाकर स्वीकार किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं की, पैरोकार सरकार का कहना है कि आज्ञा की पालना की गई है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 134 पर महाजीत पुत्र हीरालाल जाति जाट ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। विवादित आराजी को लेकर न्यायालय एस.डी.ओ.भरतपुर में एक मुकदमा न. 115/2023 दिनांक 7.7.23 विचाराधीन है। न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 4 भरतपुर मे मुकदमा नं. 17/2025 दिनांक 27.3.25 उनवानी अजीतसिंह बनाम सरकार वगे. में रास्ता की यथास्थिति बनाये रखने का स्टे है। कुछ व्यक्ति विवादित आराजी पर अनाधिकृत कब्जा करना चाहते हैं।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा उद्धरित दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया।

प्रार्थी का मुख्य तर्क है कि विवादित आराजी 134/0.07 ऐयर गैर मुमकिन रास्ता है, जिसमें प्रार्थी एवं सार्वजनिक/सरकारी हित भी निहित है, प्रार्थी एवं ग्रांमवासीयान के रास्ते के काम आता है।

पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि गत आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2013 ग्रांम विरावई में अन्य खसरा नम्बरान के साथ दर्ज खसरा नम्बर 129 रकवा 8 बीघा 16 विस्वा गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है। यानि ये गैर मुमकिन रास्ता का रकवा काफी बड़ा है। पत्रावली में उपलब्ध मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत आराजी खसरा नम्बर 129 मि. से खसरा नम्बर 132/0.09 एवं 134 रकवा 0.07 ऐयर

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

बनाया जाना दर्शाया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार एवं पटवारी एवं उसके साथ प्राप्त जमाबन्दी एवं कम्प्यूटराईज नक्शा का अवलोकन किया। नक्शा आराजी खसरा नम्बर 134 एवं 132 को देखा गया उक्त दोनों ही खसरा नम्बरान चिपटवॉ स्थित हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 ग्रांम बिरावई में आराजी खसरा नम्बर 132/0.09 ऐयर गै.मु. स्कूल के नाम दर्ज है तथा आराजी खसरा नम्बर 134/0.07 ऐयर क्रीड़ा स्थल का अंकन हो रहा है तथा आगे अंकित नोट/टिप्पणी के अवलोकन से यह भी जाहिर आया कि उक्त आराजी को लेकर सक्षम न्यायालय में केस विचाराधीन है तथा सक्षम न्यायालयों द्वारा स्थगन दिये जाने का भी नोट दर्ज किया हुआ है। तहसीलदार भरतपुर की रिपोर्ट पत्रांक/एलआर/2025/3003 दिनांक 8.5.2025 में उल्लेख किया है कि ".....खसरा नम्बर 134/0.07 किस्म क्रीडा स्थल राज. प्रा.वि0बिरावई हि0. पूर्ण संस्था के नाम दर्ज रिकार्ड है वर्णित खसरा नम्बर 134 पर महाजीत पुत्र हीरालाल जाति जाट नि. बिरावई ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है तथा पशु वगे. बांधते हैं.....वर्णित भूमि खसरा नम्बर 134/0.07 पर माननीय न्यायाजय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से मुकदमा नं. 115/2023 दिनांक 7.7.23 से आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा चालू रास्ते तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्टे है तथा माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 4 भरतपुर मुकदमा नं. 17/25 दिनांक 27.3.25 से उनवान अजीत सिंह बनाम राज. सरकार वगे. से रास्ता की यथा स्थिति बनाये रखने का स्टे है.....।"

उक्त विवेचन से यह तो निर्विवाद है कि जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 ग्रांम बिरावई में दर्ज 132/0.09 व खसरा नम्बर 134/0.07 ऐयर वर्तमान में स्कूल एवं स्कूल का क्रीडा स्थल दर्ज है के आगे अंकित नोट/टिप्पणी के विवेचन से यह भी जाहिर है कि विवादित आराजी पर कुछ व्यक्तियों द्वारा (अतिक्रमण) अनाधिकृत कब्जे करने बाबत सक्षम न्यायालयों में वाद किये हुये हैं जिनमें स्थगन भी जारी किये हुये हैं। प्रार्थी का यह कहना कि उसका एवं सार्वजनिक हित है। अगर प्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियों को आवागमन/रास्ते की असुविधा है तो उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत सक्षम न्यायालय/अधिकारी के पास रिलीफ पाने के लिये चाराजोही करनी चाहिये नाकि रेफरेन्स की माध्यम से।

पत्राावली में उपलब्ध न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या–4 भरतपुर दीवानी प्रकरण संख्या 17/2025 उनवानी अजीतसिंह बनाम राजस्थान सरकार वगे0 में पारित आदेश दिनांक 27.3.2025 का अवलोकन किया गया। माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या–4 भरतपुर ने अपने निर्णय में पारित किया है कि :–

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर

".....प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर निषेधाज्ञा अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की मद संख्या–02 में वर्णित व मौका कमिश्नर द्वारा पेश किये गये मौका नक्शा नजरी में खसरा नम्बर 134 में दर्शित इंटरलौकिंग रास्ते को यथास्थिति बनाये रखें.....।"

उपरोक्त विवेचनानुसार ऐसी स्थिति में रेफरेन्स कार्यवाही इसी स्टेज पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.9.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर